पिथौरागढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पिथौरागढ़।

विपणन/उर्पाजन मार्ग

(निविदा फार्म मूल्य 1000.00+180.00(जीएसटी)=रू0 1180.00)

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

मार्ग का नाम.– .....

1.निविदा दाता का नाम.....

2. पिता/पति का नाम.....

3. स्थाई पता.....

4. पत्र व्यवहार का पता.....

5. आधार नम्बर.....(आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)

6. पैन कार्ड न0.....(पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें))

7.जमा अर्नेस्टमनी का विवरणः–

(अ)नगद रसीद संख्या.....(ब)दिनांक.....(स) धनराशि (रू0).....

(द)बैंक का नाम..... डाफ्ट संख्या.....

8.वाहन का विवरणः–

(क)वाहन का प्रकार.....(ख) माडल वर्ष.....

(ग) वाहन का पंजीकरण न0.....(घ)बीमे की वैधता तिथि.....

(ड़) रोड टैक्स जमा की वैधता तिथि .....

(च) टैक्सी परमिट है अथवा नही लिखें .....(प्रमाण संलग्न करें).....

(छ) गाड़ी की भार क्षमता(कुन्तल में).....

9.वाहन किराये की दरेंः–

(क)दर प्रति लीटर (दुग्ध बिक्री पर):–**(अंकों में)**.....**(शब्दों में)**.....

(ख)दर प्रति कि0मी0 (दुग्ध उपार्जन मार्ग)(अंको में0).....(शब्दों में).....

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों,शर्तो,मार्ग की अनुमानित दूरी एवं संस्था द्वारा मार्गवार निर्धारित अधिकतम दरों को भली भांति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं निविदा की शर्तो एवं निर्देशों के अनुसार अपना वाहन पिथौरागढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पिथौरागढ़ में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूं। उक्त प्रविष्टियां मैने स्वयं भरी/भरवाई गयी है ओर मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पाई जाती हैं तो संस्था को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा स्वीकृत हो जाने पर संस्था द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुबन्ध की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करूंगा तथा संस्था द्वारा निर्धारित जमानत राशि संस्था कार्यालय में जमा कर दूंगा।अन्यथा मेरी अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायं।

दिनांक–

स्थान–

हस्ताक्षर निविदादाता–

नाम–

पूरापता–

मोबाइल नम्बर–

मार्गवार अनुमानित दूरी का विवरण,अधिकतम दरों का विवरण एवं वाहन के प्रकार का विवरणः–

क0 सं0	उपार्जन /विपणन मार्ग का नाम	किमी0 अनुमानित	वाहन का प्रकार	संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर (रू0प्रति किमी0)
01.	अडकिनी (उपार्जन मार्ग)	69	पिकप / टाटा एस0 / समकक्ष	17.00
02.	कुम्डार / कटियानी (उपार्जन मार्ग)	60	पिकप / बोलोरो कैम्पर / समकक्ष	19.00
03.	दिगतोली चण्डाक (उपार्जन मार्ग)	56	पिकप / टाटा एस0 / समकक्ष	16.25
04.	झूलाघाट (उपार्जन मार्ग)	83	पिकप / टाटा एस0 / समकक्ष	15.90
05.	बास चण्डाक (उपार्जन मार्ग)	95	पिकप / टाटा एस0 / समकक्ष	11.50
06.	पीपली (उपार्जन मार्ग) वाया बाईपास	99	जीप / समकक्ष	05.30
07.	बडावे (उपार्जन मार्ग)	67	पिकप / समकक्ष	07.99
08.	मडमानले(उपार्जनमार्ग) वाया बाईपास	74	जीप / समकक्ष	07.35
09.	सल्ला चिगरी (उपार्जन मार्ग)	76	जीप / समकक्ष	10.05
10.	जाख पुरान (उपार्जन मार्ग)	45	बुलेरो कैम्फर / पिकप / समकक्ष	10.05
11.	जौरासी (उपार्जन मार्ग)	64	जीप / समकक्ष	06.95
12.	बरम (उपार्जन मार्ग)	50	जीप / समकक्ष	15.00
13.	धरचूला (उपार्जन मार्ग)	67	जीप / समकक्ष	15.00
14.	डाकुडा / खडकुभल्या(उपार्जन मार्ग)	120	जीप / समकक्ष	11.74
15.	थल नाचनी मार्ग(उपार्जन / विपणन मार्ग) वाया बाईपास	167	बुलेरो कैम्फर / पिकप / समकक्ष	9.00 प्रति कि0मी0 / 4.00 रू0 प्रति ली0 / किग्रा कमीशन
16.	गगोलीहाट बेरीनाग(विपणन मार्ग)	-	बुलेरो कैम्फर / जीपपिकप / समकक्ष	4.30 रू0 प्रतिली / किग्रा0 कमीशन
17.	धारचूला (विपणन मार्ग) वाया बाईपास	-	टाटा 407 / आइसर / समकक्ष	2.70 रू0 प्रतिली / किग्रा0 कमीशन
18.	डीडीहाट(विपणन मार्ग) वाया बाईपास	-	बुलेरो कैम्फर / मैक्स / पिकप / समकक्ष	4.00 रू0 प्रतिली / किग्रा0 कमीशन
19.	मुनस्यारी (विपणन मार्ग)	-	बुलेरो कैम्फर / मैक्स / अल्टो / समकक्ष	670 रू0 प्रति दिन
20.	आकस्मिक पशु चिकित्सा / पर्यवेक्षण इकाई	02 वाहन	डिजायर / बुलोरो (माडल 2020से कम नही हो)	500 रू0 प्रतिदिन / 14 किमी0 पर 01 लीटर तेल

उपरोक्त (क्रं.सं. 20 के माडल के अलावा) अन्य सभी वाहनों को वर्ष 2016 के पूर्व का नहीं होने चाहिए।

निविदा सं0–01 निविदा दिनांकः 25.08.2025

निविदा खुलने का तिथि– 10.09.2025

फार्म क्रय मूल्य रू0 1180.00 (जी0एस0टी0सहित)

पिथौरागढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पिथौरागढ़।

निविदा फार्म भरने हेतु दिशा निर्देश एवं शर्ते

1–निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व प्रपत्र में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही साफ एवं शुद्ध भाषा में भरे एवं हस्ताक्षर करें।

2–एक निविदा प्रपत्र केवल एवं मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।

3–किसी भी मार्ग के लिए 03 वैद्य निविदायें होने पर ही निविदा मान्य होगी।

4–किसी मार्ग हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा में 03 अथवा 03 से अधिक निविदायें समान दर की प्राप्त होने पर अधिकर भार वाले वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी, एवं समान भार होने पर नवीनतम माडल वाहन की निविदा स्वीकार्य होगी।

5–एक वाहन के प्रपत्र से एक ही मार्ग की निविदा स्वीकृत होगी, यदि 02 मार्गो में एक ही वाहन की निविदा न्यूनतम पाई जाती है, तो दोनों मार्गो में न्यूनतम दर मार्ग को स्वीकार्य किया जायेगा, तथा द्वितीय मार्ग की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

6–लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में परिवहन हेतु निविदा मार्ग /प्रकार का नाम एवं निविदादाता का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

7–निविदा फार्म में स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।

8–निविदा फार्म निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 09.09.2025 की सांय 05 बजे तक (कार्य दिवसों) में दुग्ध संघ कार्यालय बिण पिथौरागढ़ से निर्धारित मूल्य जमा कर संस्था कोषागार से प्राप्त किये जा सकते है। निविदायें प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पिथौरागढ़ के नाम से रजिस्टर्ड डाक,कोरियर, अथवा निविदा पेटी के माध्यम से दिनांक 10.09.2025 की अपराहन 2.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें तथा निविदायें दिनांक 10.09.2025 को अपरान्ह 3.30 बजे गठित निविदा कमेटी एवं उपस्थित निविदादाताओं अथवा उसके प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेगी।

9–उर्पाजन अनुभाग हेतु वाहन का माडल वर्ष 2016 कम नही होना चाहिए।

10–आकस्मिक प्शुचिकित्सा हेतु वाहन माडल वर्ष 2020 से कम नही होना चाहिए।

11–निविदा फार्म के साथ निविदादाता का आधार कार्ड, पैनकार्ड,वाहन की आर0सी0,बीमा,परमिट एवं फिटनेस आदि के वैद्य प्रपत्र की छाया संलग्न होनी चाहिए अन्यथा निविदा फार्म निरस्त कर दी जायेगी, निविदा स्वीकृत होने अथवा अनुबन्ध के पश्चात अनुबन्ध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्रों की वैद्यता का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

12–वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिए पावर ऑफ अटानी मान्य नही होगी, यदि वाहन का माडल वर्ष में (A/F)अंकित किया जाता है, तो ऐसी निविदादाता को वाहन कय रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।

13–निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन का विवरण के अनुसार वैद्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां एवं वाहन हेतु रू0 5000.00 (पांच हजार)रू0 बतौर अर्नेस्ट मनी/ई0एम0आई0 की जमा रसीद की मूल प्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट जो इस संस्था के नाम देय हो मूलरूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन निविदादाताओं द्वारा पूर्व में निविदा हेतु अर्नेस्ट मनी जमा की गयी है, उसकी रसीद भी मान्य होगी, अर्नेस्ट मनी हेतु एफ0डी0आर0 मान्य नही होगी। अर्नेस्ट मनी निविदा पूर्ण होने अथवा एक माह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी।

14–निविदादाता द्वारा एक अर्नेस्ट मनी से एक ही निविदा भरी जायेगी, अर्नेस्टमनी राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

15–दुग्ध संघ से पूर्व में किसी प्रकार का बकायादार/विवाद करने वाले/दुग्ध संघ की छवि धूमिल करने वाले/चोरी में पकड़े गयें/मा0न्यायालय में दोषी पाये गये /मा0 न्यायालय में संस्था के विरूद्ध लम्बित वाद अथवा अन्य किसी प्रकार से विवादित अथवा दुग्ध संघ कार्मिकों से दुरव्यवहार/मारपीट/गाली गलौच संस्था के सम्बन्धित दुग्ध अभिकर्ता एवं उपभोगताओं से दुरव्यवहार अथवा अनुचित चरित्र वाले निविदादाता का निविदा निरस्त करते हुए आवश्यक सेवा को देखते हुए उक्त के स्थान पर नया वाहन कार्य हेतु अनुबन्धित कर लिया जायेगा।

(02)

16–वर्तमान या पूर्व के कार्यरत परिवहनकर्ताओं को संस्था के वित्त/उर्पाजन/विपणन अनुभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा, दिनांक 10.09.2025 तक सस्था की किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि होने अथवा विवादित होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा जो वाहन वर्तमान में संस्था में कार्यरत हैं, उस वाहन का भी अदेयता प्रमाण पत्र चाहिए।

17–पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा अपने अनुभागाध्यक्ष और प्रभारी यातायात से संतोषजनक कार्य का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18–उपार्जन परिवहनकर्ताओं को समितियों की मांग के अनुसार पशुआहार,/साइलेज/भूसा/हरा चारा बीज एवं स्टेशनरी/एम0टी0ई0 आदि का ढुलान समिति तक करना अनिवार्य होगा जिसकी अधिकतम दर (दुग्ध समिति तक 80.00 रू0 प्रति कुन्तलमय लोडिंग/अनलोडिंग होगी दुग्ध समिति तक का तात्पर्य जहां तक आर टी0ओ0 द्वारा रोड पास हो उस दुग्ध समिति के उक्त स्थान तक) पशुचारा ढुलान उपरान्त परिवहनकर्ता द्वारा संस्था को बिल प्रस्तुत करना होगा किसी भी दशा में परिवहनकर्ता दुग्ध समिति से ढुलान व्यय नही लेगें, परिवहनकर्ता द्वारा पशुचारा अथवा अन्य सामाग्री का ढुलान न करने पर संस्था द्वारा अन्य वाहन से पशुचारा व अन्य सामाग्री भेजी जा सकती है, जिससे व्ययभार की कटौती परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

19–उपार्जन/विपणन वाहनों में आवश्यकतानुसार संस्था का कोई भी स्टाफ बैठ सकता है, जिसे परिवहनकर्ता को बैठाना होगा, वाहन में स्टाफ के अतिरिक्त अन्य कोई सवारी नही बैठानी होगी।

20–संस्था द्वारा दुग्ध समितियों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है तदानुसार ही मार्ग की दूरी घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदादाता को मानना होगा। मार्ग की निविदा में दर्शाई गई दूरी अनुमानित है। निविदा स्वीकार्य होने के उपरान्त निविदादाता के वाहन/ संस्था के वाहन से परिवहनकर्ता के साथ संयुक्त रूप से कमेटी द्वारा मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, तदानुसार ही परिवहनकर्ता को भुगतान देय होगा।

21–वाहन में दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी किसान /प्राइवेट व्यवसाय का दूध ढुलान नही किया जायेगा, यदि दुग्ध समितियों द्वारा संकलित दूध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का दूध पाया जाता है तो उक्त प्रकरण को चोरी सम्बन्धित मानते हुए, चोरी के दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

22–चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टाफ से दुरव्यवहार करने पर प्रथम दृष्टया 5000.00 रू0 की कटौती की जायेगी, तथा जमानत राशि जब्त करते हुए वाहन संस्था से प्रथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिए सम्बन्धित को संस्था की काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

23–उपार्जन/विपणन निविदादाता संस्था द्वारा दिये समयानुसार दुग्ध उपार्जन एवं विपणन करना अनिवार्य होगा, उपार्जन वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित समयानुसार समितियों का दुग्ध दुग्धशाला नही पहुंचाया जाता है तो दूध खटटे/फटे की कटौती परिवहनकर्ता से की जायेगी, एवं विपणन वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित समयानुसार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ सम्बन्धित आपूर्ति स्थान पर नही किया जाता है तो मु0 100 प्रति 30 मिनट विलम्ब शुल्क देना होगा, यदि कोई वाहन निरन्तर लेट होती है, तो जमानत राशि जब्त करते हुए निविदा समाप्त कर दी जायेगी।

(03)

24–परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध ढुलान पूर्ण स्वच्छता के साथ करना होगा वाहन में किसी प्रकार की गन्दगी पाये जाने अथवा दूध के साथ अस्वच्छ सामाग्री पाये जाने पर कठोर दण्डाकार्यवाही की जायेगी।

25–परिवहनकर्ता आँचल दूध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार दूध एवं दुग्ध पदार्थ का ढुलान नही करेगा।

26–विपणन वाहन स्वामीयों को प्रतिदिन दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ बिक्री की धनराशि संस्था कोषागार नियमित रूप से जमा करनी होगी, तथा माह अन्त तक पूर्ण माह की दुग्ध एवं दुग्ध बिक्री की धनराशि संघ कोषागार में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उक्त माह का ढुलान बिल का भुगतान की कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पायेगा, तथा सम्बन्धित वाहन को बिना पूर्व सूचना के कार्य से प्रथक कर दिया जायेगा।

27–निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधि प्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगी।

28–निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार्य हो जाने पर किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि अथवा अन्य को हस्तान्तरित नही जा सकेगी।

29–एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संस्था के प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।

30–प्रत्येक वाहन के चालक की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी, तथा उसका पूर्ण विवरण (पता,आधार कार्ड, लाइसेन्स) आदि संस्था में लिखित एवं छाया प्रति संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा, चालक को बदलने पर उसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देना होगा।

31–निविदा फार्म दरों में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग,कटिंग,फ्लूड आदि नही होनी चाहिए ओवर राइटिंग, कटिंग, तथा फ्लूड लगातार भरी गई निविदा दरें पाई जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

32–निविददाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समयाअवधि के अन्तर्गत अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी, तथा जमानत राशि (परफोरमेन्स सिक्योटी) के रूप में उपार्जन मार्गो/पशुआहार ढुलान के वाहनों के लिए रू0 20000.00 (बीस हजार) तथा विपणन कार्य के वाहनों हेतु तीन दिन औसत दुग्ध पदार्थ बिक्री के समान अथवा रू0 50000.00 एवं धारचूला मार्ग के रू0 100000.00 की जमानत राशि जमा करना होगा, संस्था में पूर्व में जमा जमानत धनराशि मान्य नही होगी।

33– निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ रू0 100.00 (एक सौ रूपए) मूल्य के नॉन–जूडिशियल स्टांप पेपर में अनुबन्ध करना होगा।

34–अनुबन्ध समाप्त के पीछे यदि संस्था चाहे तो अधिकतम 3 माह हेतु दो बार अनुबन्ध अवधि निविदा में स्वीकृत दर पर बड़ाई जा सकती है जिसे निविदादाता मानने के लिए बाध्य होगा अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

35–निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ का ई0पी0एफ0 नियमानुसार ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा करना होगा, इसके लिए संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

36–मार्गों पर लगने वाले समस्त करों जैसे पथकर, सेतुकर, टोल टैक्स आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जाएगा। यदि निविदा उपरान्त किसी प्रकार का मार्ग में कर लगता है तो वह संस्था द्वारा देय नही होगा।

37–निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन निरिक्षण कराने की सूचना दी जाएगी। निविदादाता को निर्धारित तिथि के अन्दर वाहन को निरिक्षण करने हेतु वाहन को दुग्ध संघ कार्यालय में लाना होगा। अन्यथा निविदानिरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जाएगी। निविदा में दिए गए वाहनों को ही चलाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि दूसरा वाहन भेजना आवश्यक हो तो परिवहनकर्ता को इसकी सूचना देकर अनुमति लेनी होगी।

(04)

38–निविदादाता को परिवहन बिल के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा,।

39–संस्था के बकायेदार की निविदा स्वीकार्य नही की जायेगी, और न ही उनके वाहन के प्रपत्रों पर अन्य व्यक्ति की निविदा मान्य होगी।

40–विपणन अनुभाग में निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की बिक्री की धनराशि प्रतिदिन संस्था कोषागार में नियमित रूप से जमा करनी होगी तथा माह अन्त की अन्तिम तारीख को बकाया धनराशि को शुन्य करना अनिवार्य होगा, तथा उक्त माह का ढुलान बिल संस्था के वित्त अनुभाग में माह के प्रथम सप्ताह की 05 तारीख तक किसी भी स्थिति में भुगतान हेतु बिल प्रेषित करने होगें, विलम्ब से बिल प्रेषित होने पर बिल भुगतान में विलम्ब होने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

41–वाहन से आवश्यकतानुसार संस्थाहित में विपणन से सम्बन्धित कार्य भी लिया जा सकता है।

42–वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नही करने होगें।

43–दैवीय आपदा/ दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नही होगा।

44–वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्त होने/अन्य किन्ही कारणों से व्यवधान होने पर निविदादाता को ही वाहन की व्यवस्था करनी होगी, निविदादाता द्वारा वाहन व्यवस्था न करने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा वाहन की व्यवस्था कर ली जायेगी एवं अतिरिक्त व्ययभार का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

45–संस्था द्वारा मार्गों की अधिकतम दर निर्धारित करते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न की जा रही है, संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पाये जाने पर निविदा स्वीकार्य नही की जायेगी।

46–माह की समाप्ति होने पर परिवहनकर्ता अधिकतम 15 दिन के अन्दर बिल संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अत्यधिक विलम्ब अथवा एक साथ कई माह का बिल प्रस्तुत करने पर संस्था भुगतान करने हेतु बाध्य नही होगा।

47–निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार्य हो जाने पर किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि अथवा अन्य को हस्तान्तरित नही जा सकेगी।

<u>निविदादाता की घोषणा।</u>

उक्त शर्तो को मैनें भलीभांति पढ़ एवं समझ लिया है मै सभी शर्तो को समझने के पश्चात ही निविदा डाल रहा हूं जो कि मुझे स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर
नाम निविदादाता–
पूर्ण पता–
मोबा0–

कार्यालयः दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, (विण) पिथौरागढ़

निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि दुग्ध संघ पिथौरागढ़ को राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध उपार्जन मार्गों, विपणन मार्गों, ढुलान कार्य हेतु बोलेरो कैम्पर / पिकप / जीप / डिजायर / टाटा 407 / आयसर / समकक्ष वाहनों की आवश्यकता है। जिस हेतु रजिस्टर्ड डाक / कोरियर / निविदा पेटिका के माध्यम से दिनांक 10.09.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 10.09.2025 को ही अपरान्ह 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता दिनांक 26.08.2025 से दिनांक 10.09.2025 को 12.00 बजे तक (कार्य दिवसों में) रू0 1180.00 नगद जमा कर (समस्त कर सहित) निविदा फार्म संस्था के कोषागार से प्राप्त कर सकते हैं। अथवा यू.सी.डी.एफ. की वैब साईड www.ucdfaanchl.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं वैबसाईड से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर सम्बन्धित निविदा फार्म शुल्क का ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा निविदा फार्म में अनुमानित दूरी वाहनों के प्रकार, नियम, शर्तें, एवं मार्गवार संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर का विवरण, संलग्न होगी। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्धक दुग्ध संघ पिथौरागढ़ के पास सुरक्षित रहेगा, और अधिक जानकारी के लिए मो0 न0 9411118485, 9690013144 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(भावना भट्ट)
अध्यक्ष

पत्रांक-1120-21/निविदा-पत्र0/2025-26
दिनांक 25.08.2025

(प्रहलाद सिंह)
प्रबन्धक